पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0

मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

लखनऊ : 30 मई, 2017

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :–

उ0प्र0 विधान सभा सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) की (सातवां संशोधन) नियमावली, 2017 मंजूर

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) की (सातवां संशोधन) नियमावली, 2017 को मंजूरी प्रदान कर दी है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) की नियमावली, 1974 में विधान सभा सचिवालय के सुरक्षा सहायकों की शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल है, जबकि उत्तर प्रदेश सचिवालय के समकक्ष पदों यथा विधान भवन रक्षक/आग्निक/अग्नि रक्षक की शैक्षिक योग्यता सचिवालय प्रशासन विभाग के शासनादेश दिनांक 16 जनवरी, 2015 द्वारा हाईस्कूल के स्थान पर इण्टरमीडिएट कर दी गयी है।

इस क्रम में विधान सभा सचिवालय द्वारा विधान सभा सचिवालय के सुरक्षा सहायकों की शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश सचिवालय के विधान भवन रक्षक/आग्निक/अग्नि रक्षक की भांति हाईस्कूल के स्थान पर इण्टरमीडिएट किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा सहायक (महिला) के पदों, जिनका समावेश मूल नियमावली में अभी तक नहीं किया जा सका है, की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट निर्धारित करते हुए इन पदों का समावेश नियमावली में किए जाने हेतु आवश्यक संशोधन करने का भी प्रस्ताव किया गया है।

चूंकि विधान सभा सचिवालय को उत्तर प्रदेश सचिवालय से प्रारम्भ से ही समकक्षता प्राप्त है, अतः विधान सभा सचिवालय के सुरक्षा सहायकों की शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश सचिवालय के समकक्ष पदों– यथा विधान भवन रक्षक/आग्निक/अग्नि रक्षक की भांति हाईस्कूल के स्थान पर इण्टरमीडिएट किए जाने तथा सुरक्षा सहायक (महिला) के पदों की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट निर्धारित करते हुए इन पदों का समावेश मूल नियमावली में किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तों)

की (सातवां संशोधन) नियमवाली, 2017 को मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित कर दिया है।

प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्साधिकारियों की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का प्रस्ताव मंजूर

मंत्रिपरिषद ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्साधिकारियों की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

साथ ही, वर्तमान में कार्यरत चिकित्साधिकारियों में से जो चिकित्साधिकारी 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होना चाहें, उन्हें विकल्प प्रदान करने तथा चिकित्सा सेवाओं में गुणात्मक सुधार के दृष्टिकोण से 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके ऐसे चिकित्साधिकारी, जिनका कार्य संतोषजनक नहीं है अथवा जिनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध पायी गई है व जिनके विरुद्ध गम्भीर शिकायतें/शारीरिक अस्वस्थता है, उनकी स्क्रीनिंग करते हुए उन्हें 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया गया है।

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में विभिन्न स्तर के चिकित्सकों के लगभग 18382 पद सृजित हैं, जिनमें से 7348 पद वर्तमान में रिक्त चल रहे हैं तथा प्रतिवर्ष लगभग 300–400 चिकित्सक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को भेजे जाने वाले अधिचायन के सापेक्ष चयन की कार्यवाही में विलम्ब होता है। चयनोपरान्त चयनित अभ्यर्थियों में से अधिक संख्या में अभ्यर्थियों/चिकित्सकों द्वारा योगदान नहीं किया जाता है। योगदान देने के उपरान्त भी अधिकांश चिकित्साधिकारियों द्वारा सेवाएं छोड़ दी जाती हैं। फलस्वरूप चिकित्सकों के पदों को भर पाना एवं जन सामान्य को सतत् व गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं सुलभ कराना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

विशेषज्ञ चिकित्सकों को पुनर्योजित कर काफी हद तक चिकित्सकों की कमी दूर किए जाने का प्रयास किया गया है। फिर भी बड़ी संख्या में प्रतिमाह चिकित्सकों के सेवानिवृत्त होने, नये चिकित्सकों के द्वारा अपेक्षित संख्या में नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण न करने के कारण बड़ी संख्या में चिकित्साधिकारी के पद रिक्त बने हुए हैं। जनता को सुलभ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु पूर्व से स्थापित चिकित्सालयों में नई चिकित्सा यूनिट खोले जाने, नवीन 100 शैय्यायुक्त संयुक्त चिकित्सालय, ट्रॉमा सेण्टर, महिला चिकित्सालय/मैटरनिटी विंग खोलने एवं नये स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के फलस्वरूप चिकित्सकों की अत्यधिक आवश्यकता के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कार्यरत चिकित्सकों की अधिवर्षता आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किए जाने का निर्णय लिया गया है।

पूर्वान्चल एक्सप्रेस–वे परियोजना के आठों पैकेजों को ई0पी0सी0 पद्धति पर अग्रेत्तर क्रियान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने पूर्वान्चल एक्सप्रेस–वे परियोजना के आठों पैकेजों को ई0पी0सी0 पद्धति पर अग्रेत्तर क्रियान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

साथ ही, लखनऊ से गाजीपुर वाया आजमगढ़ प्रवेश नियंत्रित (ग्रीन फील्ड) एक्सप्रेस–वे परियोजना का नाम 'पूर्वान्चल एक्सप्रेस–वे' करने, परियोजना हेतु पूर्व में निष्पादित की गयी बिड प्रक्रिया को निरस्त करते हुए नवीन सिरे से बिड प्रक्रिया प्रारम्भ कर आठों पैकेजों हेतु निर्माणकर्ताओं के चयन की कार्यवाही प्रारम्भ किए जाने तथा 'पूर्वान्चल एक्सप्रेस–वे' को अयोध्या से जोड़ने हेतु एक 'लिंक मार्ग' का निर्माण, प्रदेश के लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

इसके अलावा, पूर्वान्चल एक्सप्रेस–वे परियोजना का निर्माण समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराने के लिए आवश्यक सामग्री जैसे–मिट्टी, बालू, मौरंग, गिट्टी आदि की आपूर्ति के लिए जिलाधिकारियों से ई–टेण्डरिंग के माध्यम से परियोजना विकासकर्ताओं द्वारा सीधे माइनिंग राईट्स लिए जाने की कार्यवाही करने के विकल्प की अनुमति भी प्रदान किए जाने को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस सम्बन्ध में यूपीडा द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की सहमति प्राप्त कर यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि इस कार्यवाही से राज्य सरकार को कोई नुकसान न हो।

ज्ञातव्य है कि औद्योगिक विकास अनुभाग–3 द्वारा जारी शासनादेश संख्या–2366/77–3–16–502 एम/2014 दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 द्वारा विषयगत परियोजना के आठों पैकेजों को ई0पी0सी0 पद्धति पर क्रियान्वयन हेतु निर्माणकर्ताओं के चयन सम्बन्धी अंतिम बिडिंग अभिलेख पर प्रदान किए गए अनुमोदन के क्रम में, पूर्व में शॉर्टलिस्टेड निविदाकर्ताओं से निविदायें प्राप्त कर विभिन्न पैकेजों हेतु न्यूनतम निविदा प्रस्तुत करने वाले निर्माणकर्ताओं को चिन्हित किया गया था।

परियोजना हेतु भूमि को क्रय/अधिग्रहण/पुनर्ग्रहण के माध्यम से प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलित है एवं वर्तमान में लगभग 41 प्रतिशत भूमि उपलब्ध हो चुकी है। शेष वांछित भूमि शीघ्र ही उपलब्ध कराए जाने की कार्यवाही की जा रही है।

————————

PN-CM-Cabinet Decision-30 May, 2017